पत्रांक :–3/यो.1–23/2023 (उ0शि0) 184/बजट

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

सुधीर बाड़ा (भा0प्र0से0),
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रॉची।

रॉची, दिनांक 29/10/2026.

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2026–27 में झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद, रॉची को बजटीय उपबंध के अंतर्गत उपबंधित राशि रू0 32,00,00,000/– (बतीस करोड़ रूपये) मात्र हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 179/बजट दिनांक 27.10.2026 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 में झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद, रॉची को बजटीय उपबंध के अंतर्गत उपबंधित राशि रू0 32,00,00,000/– (बतीस करोड़ रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन निम्नवत् प्रदान की जाती है :–

कमांक	विपत्र कोड	राशि
1	21S220203102BU000646	24,00,000/–
2	21S220203102BU000678	10,00,00,000/–
3	21S220203102BU000679	21,76,00,000/–
	कुल राशि –	**32,00,00,000/–**

2. स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2026–27 के राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष – "मुख्यशीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा, 03– विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष–102–विश्वविद्यालयों को सहायता, उप शीर्ष– BU- झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान, 46–सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)/78–पूँजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान/79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन) (विपत्र कोड–21S220203102BU000646/21S220203102BU000678/21S220203102BU000679) (स्कीम कोड–2172) के अंतर्गत होगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रॉची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद, रॉची के कार्यपालक निदेशक को उपलब्ध करायेंगे एवं संबंधित कार्यपालक निदेशक उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद, रॉची के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 में जमा करायेंगे।

4. झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद, रॉची के कार्यपालक निदेशक द्वारा योजना–सह–वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के नियम– 339–344 के तहत पी0 एल0 खाता संख्या–8448 से राशि की निकासी की जायेगी।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

8. स्वीकृत्यादेश संख्या 179/बजट दिनांक 27.10.2026 की अन्य शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

28.10.26

(सुधीर बाड़ा)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक–3/यो.1–23/2023 (उ0शि0) 184/बजट/रॉची, दिनांक– 29/10/2026

प्रतिलिपि –महालेखाकार का कार्यालय, झारखण्ड, रॉंची/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28.10.26

(सुधीर बाड़ा)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक–3/यो.1–23/2023 (उ0शि0) 184/बजट/रॉची, दिनांक– 29/10/2026

प्रतिलिपि – माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद, रॉंची/प्रशासनिक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद, रॉंची/नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु एवं लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28.10.26

(सुधीर बाड़ा)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher and Technical Education Department (Higher Education Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 मे व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 3/YO1-23/2023/184/BUDGET दिनांक - 29-Oct-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203102BU000646 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102 - विश्वविद्यालयों को सहायता BU - झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् हेतु सहायता अनुदान 00-NA 06 - अनुदान **State Scheme** State Scheme : GRANT-IN-AID TO JHARKHAND HIGHER EDUCATION COUNCIL(2172) Centeral Scheme : NA	80718	DRNEDN046 SUDHIR KUMAR UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA. 46 - सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)	2,400,000.00 रुपये चौइस लाख
2	S 21 220203102BU000678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102 - विश्वविद्यालयों को सहायता BU - झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् हेतु सहायता अनुदान 00-NA 06 - अनुदान **State Scheme** State Scheme : GRANT-IN-AID TO JHARKHAND HIGHER EDUCATION COUNCIL(2172) Centeral Scheme : NA	80720	DRNEDN046 SUDHIR KUMAR UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA. 78 - पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान	100,000,000.00 रुपये दस करोड
3	S 21 220203102BU000679 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102 - विश्वविद्यालयों को सहायता BU - झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् हेतु सहायता अनुदान 00-NA 06 - अनुदान **State Scheme** State Scheme : GRANT-IN-AID TO JHARKHAND HIGHER EDUCATION COUNCIL(2172) Centeral Scheme : NA	80717	DRNEDN046 SUDHIR KUMAR UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA. 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	217,600,000.00 रुपये इक्कीस करोड छहत्तर लाख

योग: रुपये बत्तीस करोड 320,000,000.00

क्रमिक योग:

Sudhir Bara

(SUDHIR BARA)
DIRECTOR

Run Date: 29/10/2026